उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–563 /ix-1/2023-02(04)2023
देहरादूनः दिनांक 07 नवम्बर, 2023

अधिसूचना संख्या-562/ix-1/2023, दिनांक 07 नवम्बर, 2023 द्वारा निर्गत अधिसूचना की प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
8. आयुक्त, गढ़वाल व कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लीथो प्रेस, इण्डस्ट्रियल एरिया, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियाँ परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. मीडिया प्रभारी सचिवालय/मीडिया सेन्टर, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाईल।

संलग्नक–यथोक्त।

(आशुतोष शुक्ल)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–562/IX-1/2023–02(04)/2023
देहरादून : दिनांक 07 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12/2003) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्र सरकार द्वारा जी0एस0आर0 653 (इ) दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के माध्यम से जारी मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अधीन स्थापित किसी रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा में यान को स्क्रैप कराये जाने वाले गैर परिवहन एवं परिवहन यानों के सापेक्ष समान श्रेणी के नए वाहनों के पंजीयन के समय निम्नलिखित शर्तों के अधीन मोटरयान कर में छूट की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(i) गैर–परिवहन यानों के मामले में देय एक बारीय मोटरयान कर का पच्चीस प्रतिशत तक अथवा ₹ 50,000 जो भी कम हो; और,

(ii) परिवहन यानों के मामले में देय मोटरयान कर का पंद्रह प्रतिशत।

परन्तु उक्त छूट परिवहन यान के मामले में आठ वर्ष की आयु तक एवं गैर परिवहन यान के मामले में 15 वर्ष की आयु तक उपलब्ध होगी तथा नियत छूट पूर्ववर्ती यान को स्क्रैप किये जाने के पश्चात रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा जारी निक्षेप प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुमन्य होगी।

स्पष्टीकरण 1– इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, दोनों मामलों में, इन अवधियों की गणना पहले रजिस्ट्रीकरण की तारीख से की जाएगी।

स्पष्टीकरण 2– इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, "निक्षेप प्रमाण–पत्र" पद का वही अर्थ होगा जो मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा रजिस्ट्रीकरण और कृत्य) नियम 2021 के नियम 3 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) में उसे अभिहित किया गया है।

2. उपरोक्त छूट इस अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

Scanned by CamScanner